ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 245-246

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

# दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तीकरण में सरकारी नीतियों एवं योजनाओं की भूमिका

डॉ0 गंगाधर

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ0प्र0) भारत

Received-14.06.2023, Revised-20.06.2023, Accepted-24.06.2023 E-mail: gangadharmohan1@gmail.com

***सारांशः*** ***भारत को प्राचीन काल से ही दुनिया–भर में एक मिली–समावेशी संस्कृति के रूप में जाना गया है। हम समावेशिता, एकीकरण और सद्भाव में विश्वास करते हैं और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्वान्त पर आगे बढ़ रहे हैं। दिव्यांगजन प्रबंधन में शामिल मुददों की जटिलता को ध्यान में रखते हुये और दिव्यांगजनों के समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियो पर ध्यान केंद्रित करने के लिये, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय में से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग बनाया गया था। अपनी स्थापना के बाद से , विभाग ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण की दिशा में आउटरीच गतिविधियों का विस्तार किया है और अपने विभिन्न नीति और कार्यक्रम उपायों के माध्यम से अपनी मौजूदगी का अहसास कराया।***

***कुंजीभूत शब्द– समावेशी संस्कृति, एकीकरण, वसुधैव कुटुम्बकम, दिव्यांगजन प्रबंधन, आर्थिक सशक्तीकरण, नीतियों, गतिविधियो, सामाजिक,***

वर्तमान माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने और उनकी क्षमता की पहचान करने के दृष्टिगत उन्हें संबोधित करने के लिये "दिव्यांगजन"शब्द का प्रयोग किया है। उनके नेतृत्व में सरकार की पहलों में दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों को सबसे आगे रखा गया है। मई ,2012 से पहले, केन्द्र सरकार स्तर पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय अपने दिव्यांगजन ब्यूरों के माध्यम से दिव्यांग मामलों के प्रबंधन के लिये केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर रहा था। दिव्यांगजनो के समावेशन और सशक्तीकरण के उद्वेश्य से नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय में से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग बनाया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, विभाग ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण की दिशा में आउटरीच गतिविधियों का विस्तार किया है और अपने विभिन्न नीति और कार्यक्रम उपायों के माध्यम से अपनी मौजूदगी का अहसास कराया है। चूंकि भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन का एक पक्षकार है, अतः हमारा यह दायित्व था कि हम दिव्यांगता के क्षेत्र में लागू अपने स्वदेशी (डोमेस्टिक) कानून को सरल और कारगर बनाएं। तद्नुासर, सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनिमय (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 को अधिनियमित किया जो 19 अप्रैल,2017 से प्रभावी हुआ। यह कानून समावेशन उदाहरणों मे से एक है, जो दिव्यांगजनों के इन अधिकारों के संरक्षण के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने के अलावा उनके अधिकारों और हकदारियों के दायरे का विस्तार करता है। यह समानता का अधिकार, क्रुरता, शोषण और हिंसा से सुरक्षा, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुॅच, मतदान में पहुॅच, कानूनी क्षमता इत्यादि की गारण्टी देता है। यह सरकार को दिव्यांगजनों के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उपाय करने और खेल मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी के लिये वातावरण बनाने के लिये भी अधिदेश प्रदान करता है। बेंचमार्क दिव्यांगजनों (अर्थात 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता) वाले व्यक्तियों के लिये सीटों में आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि उक्त अधिनिमय के तहत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। चूंकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में भर्ती मामलों पर नोडल विभाग है, इसलिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान को लागू करने के लिये जनवरी, 2018 में परिपत्र जारी किया गया। केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजनों के लिये एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है और लगभग 15700 सूतित रिक्तियों में 14000 से अधिक रिक्तियों को भर लिया गया है। इस प्रकार बेंचमार्क दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिये आरक्षण के लिये उपयुक्त 3566 पदों (समूह क–1046 समूह ख–515, समूह ग– 1724 और समूह घ– 281) की सूची भी अधिसूचित की है जो विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजनों की भर्ती के लिये आधार प्रदान करती है।

दिव्यांगता प्रमाणन हमारी सरकार के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक था। आपीडब्ल्यूडी अधिनिमय के तहत श्रेणियों को शामिल करने को ध्यान में रखते हुये, मन्त्रालय ने 4 जनवरी, 2018 को किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सीमा के आकलन के लिये दिशा–निर्देश अधिसूचित किये। इन दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ दिव्यांगता प्रमाणन के लिये चिकित्सा प्राधिकरण की संरचना की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एक समान और परेशानी रहित तन्त्र स्थापित किये जाने के दृष्टिगत और दिव्यांगजनों के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिये सरकार ने 2015–2016 से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना (यूडीआईडी) शुरू की है। 27 जनवरी,2017 में दतिया जिला, मध्यप्रदेश में पहला विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड बनाया गया था। अब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों 715 जिलों में लगभग 70 लाख यूडीआईडी कार्ड बनाये जा चुके हैं। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से सभी मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को यथाशीघ्र पोर्टल पर डिजिटल करने की दिशा में बढ़ रही है।

दिव्यांगजनों के लिये बाधामुक्त वातावरण का निर्माण उन समावेशन के लिये महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमन्त्री ने 3 सितम्बर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की जो वातावरण परिवहन प्रणाली और आईसीटीई को सिटम में सुगम पर केंद्रित है। इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस अभियान के अन्तर्गत लगभग 577 राज्य सरकार के भवनों और 1030 से अधिक केन्द्र सरकार के भवनों को सुगम्य बनाया गया है। सभी 35 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में रैम्प, हेल्प डेस्क और सुगम्य शौचालयों जैसी सुगम्य विशेष सुविधायें प्रदान की है। ए1,ए और बी श्रेणी के 709 रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाया गया है। 8443 बसों

**अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया है। जबकि 44153 एसटीयू बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया है। 603 राज्य सरकार की वेबसाइटों और 95 केन्द्र सरकार की वेबसाइटों को पहले से ही सुगम्य बनाया जा चुका है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने श्रवण बाधितों के लिये टीवी को देखने को सुगम्य बनाने के लिये सितम्बर,2019 में दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब तक 19 निजी समाचार चैनल आंशिक रूप सुगम्य समाचार बुलेटिन का प्रसारण कर हैं, 2447 समाचार बुलेटिन को सबटाइटलिंग सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेषन के साथ प्रासारित किया गया है और सामान्य मनोरंजन चैनलों द्वारा सबटाइटलिंग का उपयोग करके 3686 से अधिक अनुसूचित कार्यक्रमों/ फिल्मों प्रसारण किया गया है। मन्त्रालय ने 2021 में सुगम्यता से संबंधित समस्याओं की क्राउड सोर्सिंग के लिये एक मोबाइल एप्लिकेशन सुगम्य भारत ऐप भी तैयार किया है।

दिव्यांग छात्रों को सभी स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिये सरकार प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानो में प्री–मैट्रिक (25000), पोस्ट– मैट्रिक (17000), उच्च शिक्षा (300), एमफिल/पीएच–डी पाठ्यक्रम (200) और विदेश (ओवरसीज) (20) में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है। दिव्यांगजनों के लिये पोस्ट– मैट्रिक छात्रवृत्तियों और उच्च श्रेणी शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियों की संख्या मे हाल के दिनों में क्रमिक वृद्वि दिखाई दे रही है जो उच्चतर शिक्षा में दिव्यांगजनों की व्यापक भागीदारी को दर्शाती है। इसके अलावा विभाग दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधाएँ भी प्रदान की रहा है ताकि वे समूह क, ख, और ग पदो के लिये प्रतियोगी परीक्षा और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश परीक्षा की तैयारी की सके।

सरकार द्वारा अपनाई गई नई शिक्षा नीति, 2020 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है और इसमें समावेषी शिक्षा का घटक शामिल है। इस नीति से दिव्यांग बच्चो के लिये शिक्षा के लिये बाधामुक्त पहूँच सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

सरकार ने सांकेतिक भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करने के लिये दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना की है। संस्थान ने अब तक विभिन्न शब्दों और वाक्यांशों की लगभग 10000 सांकेतिक भाषा अभिव्यक्ति तैयार की है जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिये एक संदर्भ बिन्दु प्रदान करती है और बधिर समुदाय के लिये एक वरदान साबित हुई है। संस्थान ने कक्षा एक से इण्टरमीडियट के स्कूली पाठ्यक्रम को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिये एनसीईआरटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। संस्थान ने पहले ही कक्षा एक से पॉच के पाठ्यक्रम का सांकेतिक भाषा संस्करण तैयार किया है। इसके अलावा, पूरे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अब सुगम्य विशेषताओं के साथ एक स्मार्ट फोन एप्लिकेशन के माध्यम से दिव्यांग छात्रों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

मनो–सामाजिक दिव्यांगता (मानसिक बीमारी) की घटनाओं में वृद्वि विश्वस्तर पर चिन्ता का कारण रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट ,2019 के अनुसार, दुनिया में चार में से एक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी हिस्से में मानसिक बीमारी से प्रभावित होगा। कोविड–19 महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिन्ताओं को काफी बढ़ा दिया है। सितम्बर,2020 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने मानसिक रोगियों और उनके परिवारों को उनकी मानसिक स्वास्थ्य चिन्ताओं को दूर करने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु 24×7 टोल फ्री मेन्टल हेल्थ रिहैबिलीटेशन हेल्पलाइन शुरू की। इस हेल्पलाइन में विभाग के 25 संस्थानों के माध्यम से 660 क्लीनिकल/पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों और 668 मनो चिकित्सक स्वयंसेवकों की सहायता से 13 भाषाओं में सेवाये प्रदान की गई हैं।

**निष्कर्ष–** केन्द्र सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों सहित जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्यांगजनों के एकीकरण की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है। इस उद्वेश्य की दिशा में पहले कदम के रूप में, डीईपीडब्ल्यूडी ने ललित कला प्रदर्शन दिव्यांगजनों की आंतरिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिये एक नया मंच ''दिव्य कला शक्ति'' स्थापित किया है। केन्द्र सरकार ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को आगे बढ़ाती रही है। विभाग की एक लेगषिप योजना सहायक यन्त्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना है, जिसके तहत दिव्यांगजनों की गतिशीलता में सुधार करने के लिये दिव्यांगजनों को सहायक यन्त्र और सहायक उपकरण वितरित किये जाते हैं ताकि दैनिक जीवन की गतिविधियों आसानी से की जा सके, इसके अलावा वे स्वतन्त्र रूप से अपने काम पर भी जा सके और अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि गैर सरकारी संगठनों, पीडब्ल्यूडी एसोसिएशनों, शैक्षणिक निकायों और सिविल सोसाइटी संगठनों सहित सभी स्टोकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी के बिना अकेले सरकारी पहलों के माध्यम से वास्तव में समावेशी समाज का लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सकता है। इस प्रकार माननीय प्रधानमन्त्र के विजन ''सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास'' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वार्षिक विवरण 2018–19,सामाजिक न्याय और आधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार
2. वार्षिक विवरण 2017–18,सामाजिक न्याय और आधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार
3. https://disabilityaffairs.gov.in/contenthi/
4. https://disabilityaffairs.gov.in/contenthi/E-brochure-Hindi-combine.pdf

*****